

## कालेश्वरम् लफिट सचिाई परयोजना

### प्रलिमिंस के लयि:

कालेश्वरम् लफिट सचिाई परयोजना

### मेन्स के लयि:

कालेश्वरम् लफिट सचिाई परयोजना तथा इससे जुड़ी पर्यावरणीय समस्याएँ

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में [राष्ट्रीय हरति अधकिरण](#) (National Green Tribunal- NGT) द्वारा दयि गए एक नरिणय के अनुसार, तेलंगाना में [कालेश्वरम् लफिट सचिाई परयोजना](#) को 'भूतलक्षी प्रभाव' से पर्यावरणीय मंजूरी देने में कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन कयि गया है।

## प्रमुख बदि:

- NGT ने कहा है कडिन कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लयि जवाबदेही तय करने और उपचारात्मक उपायों की आवश्यकता है।
- NGT ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को नरिदेश दयिा है कडि वर्तमान मामले में जाँच के लयि संबंधति क्षेत्रीय वशिषज्जता वाले अधमिनतः सात सदस्यों की वशिषज्ज समति का गठन कयिा जाए।
- सिदिदीपेट (Siddipet) जलि के एक प्रभावति कसिन द्वारा दायर याचकिा के जवाब में मंगलवार को अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कयि गए एक फैसले में NGT की प्रधान पीठ ने मंत्रालय को एक वशिषज्ज समति गठति करने के लयि कहा जो छह महीने के भीतर अपना कार्य पूरा करेगी। पर्यावरण मंत्रालय से संबंधति सचवि को इस परयोजना की नगिरानी करने का नरिदेश देते हुए कहा कडि प्रभावति पक्ष को तीन सप्ताह के भीतर इस संबंध में मंत्रालय में अभविदन देने की छूट होगी।
- NGT ने कहा कडि वह परयोजना प्रस्तावक के इस वचिर को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कडि प्राथमकि रूप से यह परयोजना जल आपूर्ति और जल प्रबंधन के लयि है और सचिाई इस परयोजना का सहायक भाग है, इसलयि वर्ष 2008-2017 के दौरान परयोजना के क्रयान्वयन से पहले ज़रूरी पर्यावरण मंजूरी नहीं ली गई थी।
- NGT की प्रधान पीठ ने सुझाव दयिा है कडि वशिषज्ज समति विरष 2008-2017 की अवधि के दौरान पर्यावरणीय मंजूरी के बनिा परयोजना जारी रहने के कारण होने वाले नुकसान का आकलन कर सकती है और आवश्यक बहाली के उपायों की पहचान कर सकती है।
- इसके अलावा NGT ने कहा है कडि राहत और पुनरवास संबंधी उपायों को अपनाया जा सकता है और इन्हें आगे भी अपनाया जाना आवश्यक है तथा परयोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण प्रबंधन योजना के प्रभावी क्रयान्वयन की जाँच करने के साथ ही पर्यावरणीय मंजूरी के लयि आवश्यक शर्तों का अनुपालन भी कयिा जाए।

## बहुउद्देशीय परयोजनाओं से संबंधति पर्यावरणीय मंजूरी:

- NGT के अनुसार, यह वशिष रूप से आवश्यक है कडि अगर परयोजनाएँ बहुउद्देशीय हैं तो उनके लयि पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता होती है।
- NGT ने कहा कडि पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता को इस तर्क से खारजि नहीं कयिा जा सकता है कडि परयोजना को आंशकि रूप से पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधसिचन द्वारा स्वीकृत कयिा गया था, जैसा कडि वर्तमान मामले में हुआ।
- NGT के अनुसार, इस तरह की परयोजनाओं के लयि केवल दस्तावेज़ी स्वीकृति के बजाय एक तंत्र वकिसति करने की आवश्यकता है और इसके बाद जहाँ भी आवश्यक हो, वविरणों का भौतिक सत्यापन कयिा जा सकता है।

## स्रोत- द हदि

